न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 20/2019

प्रार्थी
जीवाराम पुत्र श्री उकाराम
जाति घांची आयु 64 वर्ष निवासी
पाडीव तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2– छोगाराम पुत्र उकाराम जाति घांची आयु व्यस्क निवासी पाडीव तह. व जि. सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 29–7–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 3–5–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम पाडीव पटवार हल्का पाडीव तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जारी पासबुक दिनांक 22–3–2001 संवत 2057–2060 के अनुसार खाता संख्या 230 खसरा संख्या 1148 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किश्त बारानी ा खातेदार जीवा, छोगा,पिसरान उका जाति घांची निवासी पाडीव के नाम खातेदारी दर्ज थी । भू प्रबन्ध के दौरान उपरोकत खसरा संख्या 1148 के वर्तमान खसरा संख्या 398 दर्ज हुये है तथा भूप्रबन्ध के पश्चात इसी कृषि भूमि की कजारी नई जमाबंदी संवत 2070 से 2073 मे खसरा संख्या 398 के खातेदरान के नाम जीता पुत्र उका ,छोगा पुत्र उका जाति घांची साकिन पाडीव खातेदार अंकित किये हुये है।भू प्रबन्ध के पश्चात नये खसरा संख्या 398 मे राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार जीवा पुत्र उका घांची के स्थान पर गलत नाम जीता पुत्र उका घांची दर्ज कर दिया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि सुधारने हेतु कई बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किये गये लेकिन बावजूद निवेदन आज दिन तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटि को सुधार कर सही इन्द्राज जीता पुत्र उका के स्थान पर जीवा पुत्र उका नही करने से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम पाडीव तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 398 खातेदार जीता पुत्र उका के स्थान पर जीवा पुत्र उका के दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार सिरोही को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 251 के खसरा संख्या 398 क्षैत्रफल 0.7600 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी की कृषि पासबुक की प्रति पहचान कार्ड,आधारकार्ड व पंजीकृत बेचान लिखत दिनांक 9–1–1987 की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 3–5–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त नही हुआ है।

इस न्यायालय मे दिनांक 26–7–2019 को विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये विक्रय विलेख कमांक 16/87 दिनांक 9–1–87 मे जीवा व छोगा पिसरान उकाकजी घांची नाम दर्ज था । परन्तु पटवारी हल्का पाडीव द्वारा जमाबंदी अपडेट करते समय भूलवश जीवा की जगह जीता दर्ज हो गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों मे जीवाराम पुत्र उकाराम नाम दर्ज है। अतः वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 251 खसरा नंबर 398 मौजा पाडीव मे दर्ज नाम जीता की जगह जीवाराम किया जाना उचित है।

विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 251 के खसरा संख्या 398 क्षैत्रफल 0.7600 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी की कृषि पासबुक की प्रति पहचान कार्ड,आधारकार्ड व पंजीकृत बेचान लिखत दिनांक 9–1–1987 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकनन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के आधार प्रकरण मे निष्कर्षत्यात्मक तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये विक्रय विलेख कमांक 16/87 दिनांक 9–1–87 मे जीवा व छोगा पिसरान उकाकजी घांची नाम दर्ज था । परन्तु पटवारी हल्का पाडीव द्वारा जमाबंदी अपडेट करते समय भूलवश जीवा की जगह जीता दर्ज हो गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों मे जीवाराम पुत्र उकाराम नाम दर्ज है। अतः वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 251 खसरा नंबर 398 मौजा पाडीव मे दर्ज नाम जीता की जगह जीवाराम किया जाना उचित बताया है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पासबुक की प्रति मे प्रार्थी का नाम जीवा अंकित है तथा निर्वाचन पहचान पत्र व आधार कार्ड मे भी प्रार्थी का जीवा ही अंकित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का सही नाम जीवा ही अंकित है । अतः प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलादार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाडीव तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की वर्तमान खसरा नंबर 398 मे दर्ज खातेदार प्रार्थी का गलत नाम जीता पुत्र उका के स्थान पर सही नाम जीवा पुत्र उका दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दुरूस्त कर पालना से इस न्यायालय को शीघ्र अवगत करावें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)